

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
30प्र0 लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ: दिनांक २९ दिसम्बर 2016

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय- प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के घटक "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण एवं आवास विस्तार" के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार करने तथा प्रोजेक्ट मानिट्रिंग कन्सल्टेन्सी (पी0एम0सी0) हेतु वित्तीय व्यवस्था।

महोदय,


भारत सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन" का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2015 को किया गया है। इस योजना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-162/2016/623/69-1-2016-14(139)/2015 टी0सी0 दिनांक 21.03.2016 द्वारा निर्गत किये गये हैं। उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार नगरवार हाउसिंग फार आल प्लान आफ एक्शन (एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0) तैयार कर अनुमोदित कराया जायेगा। तदोपरान्त परियोजनाओं की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार की जायेगी। डी0पी0आर0 तैयार करने का दायित्व राज्य सरकारों का है। प्रदेश सरकार द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है, परन्तु नोडल एजेन्सी सूडा के पास डी0पी0आर0 तैयार कराने हेतु तकनीकी अधिकारी एवं पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त घटक के अन्तर्गत परियोजनाओं के डी0पी0आर0 तैयार करने एवं आवासों के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ लाभार्थियों को अन्य आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु कन्सल्टेन्ट की सेवार्य लिये जाने की आवश्यकता पायी गयी है।

2. उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

अ- योजना के चतुर्थ घटक "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण एवं आवास विस्तार" के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) के पात्र परिवारों को उनके नये आवास के निर्माण अथवा मौजूदा आवास में सुधार के लिये भारत सरकार से रू0 1.50 लाख की केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष प्रदेश सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में राज्यांश रू0 1.00 लाख दिया जायेगा। इस प्रकार कुल रू0 2.50 लाख प्रति आवास वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। भवन निर्माण लागत की शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं अंशदान के रूप में वहन की जायेगी। यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस घटक के अन्तर्गत डी0पी0आर0 तैयार किये जाने हेतु नियमानुसार कन्सल्टेन्ट का चयन कर उनसे समयबद्ध रूप से डी0पी0आर0 तैयार कराया जायेगा। कन्सल्टेन्ट का चयन निविदा प्रणाली द्वारा क्वालिटी कॉस्ट बेस सलेक्शन पद्धति (क्यू0सी0बी0एस0) के आधार पर किया जायेगा।

डी0पी0आर0 का स्कोप आफ वर्क निम्नवत् होगा :-

- (1) शत-प्रतिशत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन।
- (2) लोकेशन प्लान, स्थल का ले-आउट व सर्विस प्लान तैयार करना।
- (3) लाभार्थीवार डिटेल्ड वर्किंग ड्राईंग तैयार करना।



- (4) डिटेल् कास्ट एस्टीमेट बनाना।
- (5) वर्तमान व प्रस्तावित इन्फ्रास्ट्रक्चर का विवरण तैयार करना।

डी0पी0आर0 तैयार करने पर आने वाला व्यय भार:-

शासनादेश संख्या-ए-2-23-दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 द्वारा डिपॉजिट के रूप में अथवा केश क्रेडिट लिमिट (सी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत समस्त कार्यों पर कार्य की लागत का 12.50 प्रतिशत की दर से प्रतिशत-प्रभार वसूल किये जाने का प्राविधान किया गया है। इस प्रतिशत प्रभार में 1.50 प्रतिशत व्यय पूर्ण परियोजनायें एवं व्यौरवार अनुमान (प्रारम्भिक अनुमानों के व्यय सहित) तैयार करने के लिये कार्य लागत का 1.50 प्रतिशत व्यय की व्यवस्था की गयी है। योजनान्तर्गत लाभार्थी को प्रति आवास (केन्द्रांश व राज्यांश मिलाकर) कुल ₹0 2.50 लाख वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त शासकीय सहायता की धनराशि ₹0 2.50 लाख को कार्य लागत के समकक्ष मानते हुये वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 में की गयी व्यवस्था के दृष्टिगत ₹0 2.50 लाख का 1.50 प्रतिशत अर्थात् ₹0 3,750 प्रति आवास की धनराशि डी0पी0आर0 तैयार करने के लिये अनुमन्य किया गया है।

ब- इस घटक के लाभार्थी द्वारा अपने आवास का निर्माण व उसका विस्तार स्वयं किया जायेगा। योजना के लाभार्थी ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी के हैं, जो तकनीकी रूप से निर्माण कार्य कराने के लिये सक्षम नहीं होंगे। अतएव निर्माण कार्य को गुणवत्तापरक एवं किफायती बनाने हेतु उसके निरन्तर अनुश्रवण की आवश्यकता है। अतः इस कार्य के लिये प्रोजेक्ट मानीटरिंग कन्सल्टेन्सी (पी0एम0सी0) की सेवार्य ली जानी अति आवश्यक है, जिसके परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि जिन चयनित कन्सल्टेन्ट द्वारा डी0पी0आर0 तैयार किया जायेगा उन्हें ही प्रोजेक्ट मानीटरिंग कन्सल्टेन्सी हेतु नामित किया जायेगा।

परियोजना अनुश्रवणकर्ता कन्सल्टेन्ट (पी0एम0सी0) का कार्य एवं दायित्व निम्नवत् होगा:-

- (1) पी0एम0सी0 लाभार्थी को गुणवत्तापूर्वक कार्य कराने में सहयोग करेगी, इसके साथ ही कराये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण करेगी।
- (2) पी0एम0सी0 कार्यों की गुणवत्ता के लिये पूर्ण रूप से उत्तदायी होगी।
- (3) पी0एम0सी0 लाभार्थी से अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य के विभिन्न स्तरों जैसे प्लिंथ लेवल, छत लेवल, फाइनल फिनिशिंग कार्य के आधार पर लाभार्थी को समय से वित्तीय सहायता निर्गत कराने में सहयोग करेगी, जिससे कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण, कराया जा सके।
- (4) आवासों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट भी पी0एम0सी0 निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायी जायेगी।
- (5) पी0एम0सी0 द्वारा प्रत्येक आवास की लाभार्थीवार फाइलें तैयार करायी जायेंगी तथा आवास निर्माण के विभिन्न चरणों के फोटोग्राफ्स भी संकलित कर प्राप्त किये जायेंगे।
- (6) जियो-टैगिंग का कार्य भी पी0एम0सी0 द्वारा किया जायेगा।
- (7) पी0एम0सी0 द्वारा कार्य की प्रगति का कैशफ्लो चार्ट एवं बार चार्ट वास्तविक व शिड्यूल के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- (8) प्रोजेक्ट के अन्य अनुश्रवण सम्बन्धी समस्त कार्य पी0एम0सी0 द्वारा किया जायेगा।

पी0एम0सी0 पर आने वाला व्यय भार:-


वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-2-23-दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में कार्य की लागत का 12.50 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार वसूल किये जाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त 12.50 प्रतिशत-प्रभार में से 11 प्रतिशत धनराशि "कार्यों का निष्पादन लेखा परीक्षा सहित मद" में निर्धारित की गयी है।



यह धनराशि प्रतिशत-प्रभार (सेन्टेज) की धनराशि का भाग है, जो कार्यदायी संस्था को देय है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 में निहित व्यवस्था के दृष्टिगत कुल शासकीय आर्थिक सहायता रू० 2.50 लाख का 11 प्रतिशत धनराशि का 25 प्रतिशत अर्थात् रू० 6875.00 प्रति आवास पी०एम०सी० पर व्यय किया जायेगा।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डी०पी०आर० तैयार करने हेतु रू० 3750.00 प्रति आवास एवं पी०एम०सी० की सेवार्य लेने हेतु रू० 6875.00 प्रति आवास अर्थात् कुल धनराशि रू० 10625.00 प्रति आवास का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 277.00 करोड़ में से व्यय की जायेगी तथा यह धनराशि राज्यांश की धनराशि रू० 1.00 लाख प्रति आवास के अतिरिक्त होगी एवं कन्सल्टेन्ट को दी जाने वाली अधिकतम धनराशि रू० 10625.00 से अधिक नहीं होगी।


कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-~~866/2016~~ / 9916 / 2016(1)/14(139)/2015टी.सी., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, 30प्र०, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, 30प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, 30प्र० शासन।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, 30प्र० शासन।
5. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, 30प्र० शासन।
6. संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. बजट समन्वयक/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।